रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

टोल नियमावली

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2011
पौष 22, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 62/23-02-2011-11-(सा)-09
लखनऊ, 12 जनवरी, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम सं० 8, सन् 1851) की धारा 9 के अधीन शक्ति और इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यकारी प्राधिकारी अथवा कन्सेशनेयर द्वारा निर्मित और अथवा अनुरक्षित राजमार्गों और इन्टरचेन्ज एवं फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज एवं अन्डर ब्रिज, बाईपासों को सम्मिलित करते हुए सभी सेतुओं का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्तियों, वाहनों के प्रभारियों से प्रभारित की जाने वाली फीस और उद्गृहीत या/और वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (दरों का अवधारण एवं पथकर का संग्रहण) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (दरों का अवधारण और पथकर का संग्रहण) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2-(1) जब तक कि सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 से है,

(ख) "आधार वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि से है

(ग) "बाईपास" का तात्पर्य किसी कस्बा या नगर के बाहर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग के प्रभाग से है;

(घ) "कन्सेशनेयर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके साथ अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत कन्सेशन का अनुबंध किया गया है;

(ङ) "एलीवेटेड हाईवे" का तात्पर्य राज्य राजमार्ग के किसी प्रभाग से है जो खम्भों या स्तम्भों की सहायता से भू-सतह से ऊपर उठाया गया हो;

(च) "कार्यकारी अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से है जो अधिनियम के अधीन स्थापित है;

(छ) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली अप्रैल से आरंभ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ज) "सकल यान भार" का तात्पर्य किसी वाहन के संबंध में वाहन के कुल भार और मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन 1988) के अधीन उस वाहन के लिये रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञेय रूप से प्रमाणित और पंजीकृत भार से है;

(झ) "लेन" का तात्पर्य मुख्य कैरिजवे के अंगभूत भाग से है जिसकी न्यूनतम चौड़ाई तीन मीटर और पचास सेंटीमीटर हो;

(ञ) "यांत्रिक वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे वाहन से है जो यांत्रिक शक्ति से चालित हो जिसमें मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन 1988) के अधीन यथा परिभाषित कोई मोटर यान भी सम्मिलित है;

(ट) "अधिसूचना" का तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(ठ) "निजी निवेश परियोजना" का तात्पर्य, यथास्थिति, राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या सुरंग के प्रभाग संबंधी किसी परियोजना से है जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति के अधीन किसी कन्सेशनेयर से कोई अनुबंध किया गया हो;

(ड) "सार्वजनिक निधिपोषित परियोजना" का तात्पर्य किसी परियोजना से है जो ऊपर खण्ड (ठ) में निर्दिष्ट निजी निवेश परियोजना न हो और इसके अंतर्गत ऐसी निजी निवेश परियोजना सम्मिलित है जिसके संबंध में अनुबंध समाप्त हो गया है;

(ढ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ण) "राज्य राजमार्ग" का तात्पर्य राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी राज्य राजमार्ग, जिला सड़क या अन्य जिला सड़क या ग्राम मार्ग से है;

(त) "टोल-प्लाजा" का तात्पर्य फीस के संग्रहण हेतु बनाये गए किसी भवन, निर्मिति या बूथ से है;

(थ) "ट्रांसपोंडर" का तात्पर्य वाहन पर स्थापित रेडियो-आवृत्ति-पहचान पद्धति से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित परन्तु अधिनियम तथा भारतीय पथकर अधिनियम 1851 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन अधिनियमों में समनुदिष्ट किये गए हैं।

फीस का उद्ग्रहण

3-(1) इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, राज्य राजमार्ग के अंगभूत राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल के किसी प्रभाग के प्रयोग हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा फीस उद्ग्रहण कर सकती है :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी फीस या उसके किसी अंश से, सार्वजनिक निधि पोषित परियोजना द्वारा निर्मित राज्य राजमार्ग, स्थाई पुल, बाईपास या टनल के किसी प्रभाग को अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है।

(2) उपनियम (1) के अधीन उद्गृहीत फीस का संग्रहण सार्वजनिक निधिपोषित परियोजना द्वारा निर्मित राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल, जैसी भी स्थिति हो, के समापन के दिनांक से तीस दिनों के भीतर आरंभ कर दिया जाएगा।

(3) निजी निवेश परियोजना के मामले में उपनियम (1) के अधीन उद्गृहीत फीस का संग्रहण कन्सेशनेयर और कार्यकारी अधिकारी के मध्य किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार आरंभ किया जाएगा।

(4) दोपहिया वाहनों, बिना ट्रेलर के ट्रैक्टरों, कृषि उत्पाद ले जा रहे ट्राली युक्त ट्रैक्टरों तथा पशु चालित वाहनों द्वारा यथास्थिति राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल के प्रभाग के उपयोग हेतु कोई फीस उद्गृहीत नहीं की जाएगी:

परन्तु ट्रैक्टरों तथा पशु चालित वाहनों को, यथास्थिति, राज्य राजमार्ग, बाईपास या टनल के प्रभाग के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी जहां उक्त राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल के बदले में कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध हो:

परन्तु अग्रेतर यह कि जहां कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और किसी दुपहिया वाहन का स्वामी, ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति, यथास्थिति, राज्य राजमार्ग स्थाई सेतु, बाइपास या टनल के प्रभाग का उपयोग करता है तो उससे कार पर उद्गृहीत फीस का पचास प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनार्थ—

वैकल्पिक सड़क का तात्पर्य ऐसी वैकल्पिक सड़क से है, जिसका कैरिजवे दस मीटर से ज्यादा चौड़ा है और जिसकी लम्बाई राज्य राजमार्ग के ऐसे प्रभाग की सम्बन्धित लम्बाई के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं है, और

सर्विस सड़क का तात्पर्य राज्य राजमार्ग के समानान्तर जाने वाली सड़क से है जो राज्य राजमार्ग के ऐसे प्रभाग से संलग्न भूमि तक पहुंच उपलब्ध कराती है।

(5) इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फीस को पूर्णीकृत करते हुए निकटतम पांच रुपये के गुणकों में उद्गृहीत किया जाएगा।

4—(1) सार्वजनिक निधिपोषित परियोजना या निजी निवेश परियोजना के माध्यम से निर्मित राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाइपास या टनल के प्रभाग के उपयोग हेतु फीस की दर एक समान होगी। फीस की आधार दर

(2) (क)—दो लेन के राज्य राजमार्ग के प्रभाग के उपयोग हेतु आधार वर्ष 2010—11 के लिये फीस की दर ऐसे प्रभाग की लम्बाई की निम्नलिखित दरों से गुणा कर के प्राप्त गुणनफल होगी, अर्थात्:—

वाहन का प्रकार	प्रति कि०मी० फीस की आधार दर (रु)
कार, जीप, वैन, हल्के वाहन, थ्री व्हीलर, या गैर कृषि उत्पाद ले जा रहे ट्राली युक्त ट्रैक्टर	0.50
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	0.70
बस या ट्रक	1.45
हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या मल्टी एक्सल वेहकिल, तीन से छः एक्सल	2.40
ओवरसाइज वेहकिल (सात या अधिक एक्सिल)	3.00

(ख) चार लेन के राज्य राजमार्ग के प्रभाग के उपयोग हेतु आधार वर्ष 2010–11 के लिये फीस की दर ऐसे प्रभाग की लम्बाई का गुणनफल होगी, अर्थात्–

वाहन का प्रकार	प्रति कि०मी० फीस की आधार दर (रू)
कार, जीप, वैन, हल्के वाहन, थ्री व्हीलर, या गैर कृषि उत्पाद ले जा रहे ट्राली युक्त ट्रैक्टर	0.80
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.20
बस या ट्रक	[illegible].40
हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या मल्टी एक्सल वेहकिल, तीन से 6 एक्सल	4.00
ओवरसाइज्ड वेहकिल (सात या अधिक एक्सिल) [illegible]	4.[illegible]

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ– [illegible]

(क) 'कार' या 'जीप' या 'वैन' या 'हल्के मोटर वाहन' या 'थ्री व्हीलर' 'ट्राली युक्त ट्रैक्टर' का तात्पर्य किसी यांत्रिक वाहन से है जिसका सकल वाहन भार सात हजार पांच सौ किलोग्राम से अधिक न हो या ड्राइवर को छोड़कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणक में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकृत यात्री वाहन क्षमता 12 से अधिक न हो, 'हल्का वाणिज्यिक वाहन' या 'हल्का माल वाहन' या 'मिनी बस' का तात्पर्य साढ़ हजार पांच सौ कि०ग्रा० से अधिक किंतु बारह हजार कि०ग्रा० से कम या ड्राइवर को छोड़कर मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणक में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकृत यात्री वाहन क्षमता 12 से अधिक [illegible] से अधिक न हो;

(ख) 'ट्रक' या 'बस' का तात्पर्य किसी यांत्रिक वाहन से है, जिसका सकल वाहन भार बारह हजार कि०ग्रा० से अधिक पर बीस हजार कि०ग्रा० से कम हो या ड्राइवर को छोड़कर मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणक में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकृत यात्री वाहन क्षमता 32 से अधिक हो;

(ग) 'हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी' या 'अर्थ मूविंग इक्विपमेंट' या 'मल्टी एक्सल वाहन' का तात्पर्य हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या 3 से 6 एक्सल के साथ मल्टी एक्सल वाहन को सम्मिलित करते हुए यांत्रिक वाहन या बीस हजार कि०ग्रा० से अधिक किंतु साठ हजार कि०ग्रा० से अनधिक के सकल वाहन भार वाले वाहन से है; और

'ओवर साइज्ड वेहकिल' का तात्पर्य 7 या अधिक एक्सिल युक्त किसी यांत्रिक वाहन या साठ हजार कि०ग्रा० से अधिक सकल वाहन भार वाले वाहन से है।

(तीन) रूपये पांच करोड़ से अधिक की लागत से स्थाई सेतु, बाईपास या टनल के उपयोगार्थ आधार वर्ष 2010–11 के लिये फीस की दर निम्नवत् होगी:–

फीस की आधार दर (प्रति यात्रा प्रति वाहन रूपये में)

स्थायी सेतु, बाईपास या टनल (करोड़ रू० में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस	एच.सी.एम /ई.एम.ई. या एम.ए. वी.	ओवर साईज वाहन
1	2	3	4	5	6
5.0 से 7.50	5.0	7.5	15.0	22.0	30.0
प्रत्येक अतिरिक्त 5 करोड़ रू० या उसके भाग, सात दशमलव पांच करोड़ से अधिक एक सौ करोड़ रूपये तक	1.0	1.50	3.0	4.50	6.0
प्रत्येक अतिरिक्त 5 करोड़ रूपये या उसके भाग, एक सौ करोड़ रूपये से अधिक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

परन्तु ऐसे राज्य राजमार्ग जिस पर पचास करोड़ रु0 या अधिक की लागत से स्थाई सेतु, बाईपास या सुरंग स्थित हो, के लिए फीस की गणना करते समय ऐसे स्थाई सेतु, बाईपास या सुरंग की लंबाई को राज्य राजमार्ग के ऐसे भाग की लम्बाई में से निकाल दिया जाएगा और ऐसे स्थाई सेतु, बाईपास या सुरंग हेतु विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां, यथास्थिति ऐसे स्थायी सेतु, बाईपास या सुरंग [illegible] पचास करोड़ रु0 से कम हो [illegible] बाईपास या सुरंग राज्य [illegible] के भाग [illegible] या सुरंग पर [illegible] पर [illegible]

[illegible] इस [illegible] के प्रयोजनार्थ [illegible] जाएगी

[illegible] जो कि कम्प्रीहेन्सिव [illegible] की जाए, और [illegible] है जो उसके [illegible] पूर्ण कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए।

(4) स्टैण्ड अलोन पुल, आर0ओ0बी0, आर0यू0बी0, एलीवेटेड हाइवे के लिए दरें खण्ड 4 (तीन) में दी गई है।

5-(1) नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों को [illegible] प्रतिवर्ष [illegible] से बढ़ा दिया जाएगा और [illegible] बाद के वर्षों के लिए [illegible] लागू होगी, शंका के निवारणार्थ एतद् अधीन प्रथम वृद्धि 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी होगी।

(2) दो जनवरी, 2010 को समाप्त होने वाले सप्ताह और ऐसे पुनरीक्षण किए जाने वाले [illegible] जनवरी को [illegible] उसके ठीक [illegible] समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक (होल सेल प्राइस इन्डेक्स) में वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए लागू आधार दरों को प्रतिवर्ष एक अप्रैल से पुनरीक्षित किया जाएगा किन्तु ऐसा पुनरीक्षण थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि के चालीस प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण

(3) लागू फीस की दर के अवधारण हेतु फार्मूला निम्नवत् है—

$$\text{फीस की लागू दर} = \text{आधार दर} + \text{आधार दर} \times \left\{ \frac{WPI\ A - WPI\ B}{WPI\ B} \right\} \times 0.40$$

स्पष्टीकरण :— इस उपनियम के प्रयोजनार्थ :—

(क) फीस की लागू दर प्रयोगकर्ता द्वारा देय दर होगी,

(ख) उपनियम (1) के साथ पठित नियम 4 में विनिर्दिष्ट दर आधार दर होगी,

(ग) WPI-A का तात्पर्य उस वर्ष की पहली जनवरी को या उसके ठीक बाद समाप्त होने वाले सप्ताह, जिसमें ऐसा पुनरीक्षण किया जाए के ठीक मूल्य सूचकांक से है।

(घ) WPI-B का तात्पर्य दो जनवरी, 2010 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक से है

दृष्टांत—यदि वर्ष 2011–12 के लिए पहली जनवरी 2011 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्य सूचकांक को लगाकर पुनरीक्षण किया जाना हो तो कार–जीप या वैन के लिए दर 0.84 होगी जैसा कि नीचे संगणित की गई है (यह मानते हुए, कि 2–1–2010 और 1–1–2011 को थोक मूल्य सूचकांक क्रमशः 100 और 105 है

$$\text{फीस की लागू दर} = 0.824 + 0.824 \times \left\{ \frac{105 - 100}{100} \right\} \times 0.40 = 0.84$$

(4) इस नियम के अधीन फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।

फीस का संग्रहण

6–(1) इस नियमावली के अधीन उद्‌गृहीत फीस का संग्रहण राज्य सरकार द्वारा या भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 की धारा 2(बी) के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति या कन्सेशनेयर द्वारा किये गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिये जैसी भी स्थिति हो, द्वारा टोल प्लाजा पर किया जाएगा ;

(2) यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति राज्य राजमार्ग, स्थाई सेतु, बाईपास या टनल के [illegible] प्रयोग के लिये टोल प्लाजा पार करने के पूर्व इस नियमावली [illegible]

(3) [illegible] कार्ड से या आनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोण्डर) से या किसी अन्य [illegible] युक्ति से किया जाएगा :

परन्तु स्मार्ट कार्ड या आनबोर्ड यूनिट (ट्रांसपोण्डर) या ऐसी किसी अन्य युक्ति से फीस का भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा।

(4) किसी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति जो फीस के भुगतान हेतु आनबोर्ड [illegible] किसी अन्य ऐसी युक्ति की स्थापना का विकल्प देता है [illegible] राज्य सरकार, कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर के पास युक्ति की लागत के बराबर की प्रतिदेय प्रतिभूति धनराशि जमा करेगा और इस प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा;

(5) उपनियम (2) के अधीन ऐसी फीस प्राप्त करने वाला व्यक्ति यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को एक रसीद देगा जिसमें ऐसी फीस रसीद का समय व दिनांक, प्राप्त धनराशि, तथा वाहन की श्रेणी जिसके लिये फीस ली गई है, का उल्लेख किया जाएगा :

परन्तु जहां फीस का भुगतान स्मार्ट कार्ड या आनबोर्ड यूनिट या किसी अन्य युक्ति [illegible] की जाती है तो रसीद केवल मांग करने पर ही दी जाएगी। [illegible]

(6) फीस का संग्रहण, कन्सेशनेयर द्वारा किये गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिये यथास्थिति, राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा ;

(7) सार्वजनिक निधिपोषित परियोजनाओं के संबंध में इस नियमावली के अधीन उद्‌गृहीत फीस, यथास्थिति, राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अपने स्वयं के पदधारियों या ठेकेदार के माध्यम से संग्रहीत की जाएगी।

फीस का प्रेषण और विनियोजन

7– सार्वजनिक निधिपोषित परियोजनाओं के मामले में प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली के अधीन संग्रहीत फीस राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी :

परन्तु निजी निवेश परियोजना की स्थिति में इस नियमावली के प्राविधानों के अधीन संग्रहीत फीस का विनियोजन, कन्सेशनेयर और कार्यकारी प्राधिकारी के मध्य किये गए अनुबंध के कार्यान्वयन में दायित्वों से सम्बन्धित प्राविधानों के अधीन किया जाएगा। इस परन्तुक हेतु कन्सेशनेयर का आशय उस प्राधिकृत व्यक्ति से होगा जो धारा–2(बी) भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 के अन्तर्गत परिभाषित है।

टोल प्लाजा की अवस्थिति

8–(1) कार्यकारी प्राधिकारी या कंसेशनयेर नगर पालिका सीमा या स्थानीय टाउन एरिया की सीमा से पाँच किलोमीटर की दूरी के बाहर टोल प्लाजा स्थापित करेगा :

परन्तु कार्यकारी प्राधिकारी लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों से नगर पालिका या स्थानीय टाउनएरिया की सीमा के 5 कि0मी0 की दूरी के भीतर टोल प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकता है किन्तु किसी भी दशा में उक्त सीमा के 2 कि0मी0 के भीतर अनुमति न होगी :

परन्तु अग्रतर यह कि जहाँ राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल का निर्माण नगर पालिका या टाउन एरिया के भीतर या उक्त सीमाओं से 5 कि0मी0 के भीतर प्राथमिकता पर ऐसी नगरपालिका या टाउन एरिया के निवासियों के उपयोग हेतु किया जाता है तो टोल प्लाजा को नगर पालिका या टाउन एरिया की सीमा के भीतर या उक्त सीमा से 5 कि0मी0 की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकता है।

(2) राज्य राजमार्ग के एक ही प्रभाग पर और एक ही दिशा में 50 कि०मी० की दूरी के भीतर कोई दूसरा टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहाँ कार्यकारी प्राधिकारी आवश्यक समझें तो वह लिखित में कारण देते हुए 50 कि०मी० की दूरी के भीतर दूसरा टोल प्लाजा स्थापित करने की अनुमति कन्सेशनेयर को दे सकता है या स्थापित कर सकता है :

परन्तु यह और कि कोई टोल प्लाजा किसी अन्य टोल प्लाजा से 40 कि०मी० की दूरी के भीतर स्थापित किया जा सकता है यदि वह स्थाई सेतु, [illegible]

(3) [illegible] राज्य राजमार्ग, [illegible] बाईपास या टनल का उपयोग [illegible] निम्नलिखित शर्तों के अनुसार [illegible] ले सकता है :

[illegible]	[illegible] की संख्या	विधिमान्यता की अवधि
[illegible]	[illegible]	[illegible] के समय से चौबीस घंटे तक
[illegible] के लिये देय फीस की [illegible]	पचास	भुगतान के दिनांक से एक माह तक।

(3) [illegible] जिसके पास गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये पंजीकृत यान्त्रिक वाहन है और वह उसे राज्य राजमार्ग, स्थाई सेतु, बाईपास या टनल के प्रभाग पर आने जाने के लिये प्रयोग करता है नियम 5 के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिये लागू 200 रू० प्रतिमाह जो वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएगी, के आधार पर फीस का भुगतान करके एक पास प्राप्त कर सकता है जिसके द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किये गए टोल प्लाजा के आर-पार जाने के लिये प्राधिकृत किया जाएगा। परन्तु ऐसा पास केवल तभी जारी किया जाएगा जब कि यांत्रिक वाहन का ऐसा चालक, स्वामी या व्यक्ति विनिर्दिष्ट टोल प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर रहता हो और ऐसे राज्य राजमार्ग, स्थायी सेतु, बाईपास या टनल का उपयोग विनिर्दिष्ट टोल प्लाजा के अगले टोल प्लाजा के आगे न किया जाय :

परन्तु अग्रतर यह कि, वाहन के स्वामी, चालक या प्रभारी व्यक्ति के उपयोगार्थ यदि कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो ऐसा कोई पास नहीं दिया जाएगा।

(4) यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या प्रभारी को पास नहीं जारी किया जायेगा या न ही फीस वसूली जायेगी यदि वह राज्य राजमार्ग के प्रभाग का उपयोग करता और टोल-प्लाजा को पार नहीं करता है।

ओवर लोडिंग के लिये फीस की दर

10-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन किसी यांत्रिक वाहन के चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई यांत्रिक वाहन जो नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन उसकी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट अनुमन्य भार से अधिक भार धारण किये हो, अगले उच्चतर श्रेणी के यांत्रिक वाहन हेतु लागू दर पर फीस अदा करने के लिये दायी होगी :

परन्तु ओवरलोडिंग के लिये ऐसी फीस का भुगतान किसी यांत्रिक वाहन के ड्राइवर, स्वामी या प्रभारी को ऐसे राज्य राजमार्ग के उपयोग का हकदार किसी भी प्रकार से नहीं बनायेगा, और उसके वाहन को तब तक राज्य राजमार्ग का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा जब तक ऐसे वाहन से अतिरिक्त भार न हटा दिया जाय।

(4) टोल प्लाजा पर यथास्थित वे-ब्रिज पर यथा अंकित किसी यांत्रिक वाहन का भार, इस नियम के अधीन ओवरलोडिंग हेतु फीस उद्ग्रहण का आधार होगा :

परन्तु जहां किसी टोल-प्लाजा पर वे-ब्रिज नहीं हो वहां इस नियम के अधीन कोई ओवरलोडिंग फीस उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत नहीं की जाएगी और यांत्रिक वाहन का ड्राइवर, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति केवल ऐसे वाहन हेतु प्रयोज्य फीस के भुगतान का दायी होगा।

फीस के भुगतान से छूट

11– ऐसे व्यक्तियों से कोई फीस नहीं उद्ग्रहीत की जाएगी जो उत्तर प्रदेश में अपनी प्रास्थिति के संबंध में यथा संशोधित राजकीय पथकर अधिनियम 1951 की धारा-4 में [illegible]

सूचना का प्रदर्शन

12–(1) यथास्थिति, अधिकृत व्यक्ति या कन्सेशनेयर अंग्रेजी और हिन्दी भाषा के प्रत्येक के कम से कम एक दैनिक समाचार में जिसका स्थानीय क्षेत्र में व्यापक परिचालन हो, यांत्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को प्रभारित फीस की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना प्रकाशित करायेगा।

(2) यथास्थिति, अधिकृत व्यक्ति या कन्सेशनेयर, हिन्दी व अंग्रेजी में टोल-प्लाजा के एक हजार मीटर पहले और टोल-प्लाजा के पांच सौ मीटर पहले निम्नलिखित को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा–

(एक)–प्रत्येक वर्ग के वाहन हेतु देय फीस की धनराशि तथा नियम 9 के अधीन छूट;

(दो)–फीस के भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी ; तथा

(तीन)–यथास्थिति, कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर का नाम, पता, दूरभाष या संपर्क संख्यांक ;

(चार)–फीस का भुगतान करने से मना किये जाने पर शास्ति और वैधानिक कार्यवाही से संबंधित व्यवस्था।

(3) प्रदर्शन बोर्डों की ऊंचाई, उनकी सुभेद्यता तथा अक्षरों का आकार ऐसा होगा जो उपयोगकर्ता को स्पष्ट दिखाई दे तथा पठनीय हो।

अप्राधिकृत संग्रहण

13–(1) यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यथास्थिति, कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर द्वारा संग्रहीत अधिक फीस, यदि कोई, का निधारण कर सकता है और उसे ऐसे कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर से, संग्रहीत अधिक फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त धनराशि के साथ वसूल सकता है :

परन्तु ऐसी अधिक फीस की कोई वसूली नहीं की जाएगी जब तक कि यथास्थिति, उस कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

(2) अप्राधिकृत फीस के संग्रहण से व्यथित यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, यथास्थिति, इस निमित्त राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जो, पक्षकारों को सुनने के बाद उसके 30 दिनों के भीतर ऐसी शिकायत पर अधिक भुगतान के प्रतिदाय/भुगतान और ऐसे उपयोगकर्ता को हुई परेशानियों के लिये क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु एक आदेश पारित करेगा।

फीस अदायगी में विफलता

14–(1) यदि किसी यांत्रिक वाहन का ड्राइवर, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति राज्य राजमार्ग, स्थाई सेतु, बाईपास या टनल के उपयोग हेतु फीस नहीं अदा करता है या अदा करने से इंकार करता है तो उसके वाहन को राज्य राजमार्ग के ऐसे प्रभाग के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि ऐसा वाहन मार्ग के सामान्य यातायात प्रवाह को बाधित करता है तो कार्यकारी प्राधिकारी या कन्सेशनेयर ऐसे बाधक वाहन को वहां से हटवा सकता है।

(2) यदि किसी यांत्रिक वाहन का चालक या प्रभारी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उद्ग्रहीत फीस को अदा करने से इंकार या विफल रहता है तो उसे उस वाहन के पंजीकृत स्वामी से वसूला जाएगा।

(3) जहां, यथास्थिति, राज्य सरकार, कार्यकारी प्राधिकारी या कंसेशनेयर को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई यांत्रिक वाहन देय फीस का भुगतान किये बिना राज्य राजमार्ग, स्थाई सेतु, बाईपास या टनल का प्रयोग कर रहा है तो वह उसके भुगतान के सत्यापनार्थ ऐसे वाहन को रोक सकता है और उक्त वाहन से देय फीस को संग्रहीत कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से देय फीस की अदायगी में विफल रहता है या किसी अधिकारी या व्यक्ति को इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या अन्यथा एक हजार रुपये से अन्यून के अर्थदंड का भागी होगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है और अर्थदंड के भुगतान में चूक होने पर इसे भू-राजस्व के देयों के रूप में वसूल किया जाएगा।

15— राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को, कार्यकारी प्राधिकारी या कंसेशनेयर के किन्हीं दस्तावेजों, अभिलेखों, अन्य सूचनाएं प्रक्रियाएं या रिपोर्ट को जांचने तथा फीस के संग्रहण का सत्यापन करने की शक्ति होगी। — अभिलेखों के सत्यापन की राज्य सरकार की शक्ति

16— नियम 3 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत फीस उसके अनुबंध के प्रावधान के अनुसार कंसेशनेयर द्वारा संग्रहीत की जाएगी। — निजी निवेश परियोजना के संबंध में फीस का संग्रहण

17— राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के सिवाय, टोल-प्लाजा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई बैरियर नहीं स्थापित किया जायगा, जो इस बात का समाधान हो जाने पर कि फीस की अपवंचना हो रही है ऐसे स्थान से जहां से ऐसी अपवंचना, यथास्थिति, राज्य सरकार, अधिकृत व्यक्ति या कंसेशनेयर द्वारा फीस की अपवंचना को रोकने के लिए टोल प्लाजा के दस कि०मी० के भीतर ऐसे अतिरिक्त बैरियर लगाने की अनुमति दे सकती है : — अतिरिक्त बैरियर के स्थापन पर निषेध

परन्तु, यथास्थिति, राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जाएंगे, किसी भी समय, ऐसी अनुमति वापस ले सकता है :

परन्तु अग्रतर यह कि, जहां यथास्थिति, राज्य सरकार या कार्यकारी प्राधिकारी अतिरिक्त बैरियर को लगाए जाने की अनुमति नहीं देती है वहां ऐसे अधिकृत व्यक्ति या कंसेशनेयर को युक्तियुक्त अवधि के अन्तर्गत ऐसे इंकार के कारणों से अवगत कराया जाएगा।

आज्ञा से,
रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 62/XXIII-02-2011-11(Sa)-2009, dated January 12, 2011:

No. 62/XXIII-02-2011-11(Sa)-2009
Dated Lucknow, January 12, 2011

IN exercise of the powers under section 9 of Indian Tolls Act, 1851 (Act no. 8 of 1851) as amended in its application to Uttar Pradesh and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the fees to be charged and the toll levied and realised from all persons, incharge of vehicles, using the State Highways and all bridges including interchanges and flyovers, railway over bridges and under bridges, bypasses, constructed and or maintained by the Executing Authority or Concessionaire under the control of State Government

THE UTTAR PRADESH STATE HIGHWAYS "THE DETERMINATION OF RATES AND COLLECTION OF TOLL RULES 2011"

Short title and commencement

1. 1.1 These rules may be called the Uttar Pradesh State Highways (Determination of Rates and Collection of Toll) Rules, 2011.

1.2 These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Uttar Pradesh State Highways Authority Act, 2004;

(b) "base year" means the period from 1st April 2010 to 31st March 2011;

(c) "bypass" means a section of the State Highways bypassing a town or city;

(d) "concessionaire" means a person with whom an agreement of concession has been entered into under section 17 of the Act;

(c) "elevated highway" means any section of state highway raised above ground level through support of piers or columns;

(f) "executing authority" means The Uttar Pradesh State Highways Authority established under section 3 of the Act;

(g) "financial year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of April of a calendar year;

(h) "gross vehicle weight" in respect of any vehicle means the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(i) "lane" means a lane forming part of the main carriageway and having a minimum width of three meters and fifty centimeters;

(j) "mechanical vehicle" means any vehicle driven by mechanical power including a motor vehicle as defined under the Motor Vehicles Act, 1988;

(k) "notification" means a notification published in the Official *Gazette*;

(l) "private investment project" means a project relating to any section of state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, for which an agreement of concession has been entered into with a concessionaire by the Executing Authority under Public Private Partnership mode;

(m) "public funded project" means a project which is not a private investment project, referred to in clause (l) above and includes a private investment project in respect of which the concession agreement has expired;

(n) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(o) "State Highway" means any State Highway, district road or other district road or village road within the territory of the State;

(p) "toll plaza" means any building, structure or booth made for collection of fee;

(q) "transponder" means a radio frequency identification device installed in vehicle on board.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act and the Indian Tolls Act, 1851 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Acts.

3. (1) The State Government may by notification, levy fee for use of any section of State Highway, permanent bridge, bypass or tunnel forming part of the state highway, as the case may be, in accordance with the provisions of these rules : — Levy of Fee

Provided that the State Government may, by notification exempt any section of State Highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through a public funded project from levy of such fee or part thereof, and subject to such conditions as may be specified in that notification.

(2) The collection of fee levied under sub-rule (1), shall commence within [illegible] from the date of completion of section of a State Highway, permanent bridge, bypass or tunnel as the case may be, constructed through a public funded project.

(3) In case of private investment project, the collection of fee levied under sub-rule (1) shall commence in accordance with the terms of the agreement entered into between the concessionaire and Executing Authority.

(4) No fee shall be levied for the use of section of State highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, by two wheelers, tractors without trailer, Tractor with trolley carrying agricultural produce and animal drawn vehicles:

Provided that tractors and animal drawn vehicles shall not be allowed to use the section of state Highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, where a service road or alternative road is available in lieu of the said state highway, permanent bridge, bypass or tunnel:

Provided further that where a service road or alternative road is available and the owner, driver or the person in charge of a two wheeler is making use of the section of state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, he or she shall be charged fifty per cent of the fee levied on a car.

Explanation: For the purpose of this rule.-

"alternative road" means such other road, the carriageway of which is more than ten meters wide and the length of which does not exceed the corresponding length of such section of State Highway by twenty per cent thereof; and

"service road" means a road running parallel to a section of the State Highway which provides access to the land adjoining such section of the State Highway.

(5) The fee notified by the State Government under these rules shall be rounded off and levied in a multiple of the nearest rupees five.

4. (1) the rate of fee for use of the section of State Highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through public funded project or private investment project shall be identical. — Base rate of fee

(2) (a) The rate of fee for use of a section of State Highway of two lanes shall, for the base year 2010-11, be the product of the length of such section multiplied by the following rates, namely:-

Type of Vehicles	Base rate of per km (in rupees)
Car, Jeep, Van, Light Motor Vehicle, Three Wheeler or Tractor with trolley carrying non-agricultural produce.	0.50
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	0.70
Bus or truck	1.45
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV), three to six axles'	2.40
Oversized Vehicles (seven or more axles)	3.00

(b) The rate of fee for use of a section of State Highway of four lanes shall for the base year 2010-11, be the product of the length of such section multiplied by the following rates, namely :-

Type of Vehicles	Base rate of fee per km (in rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle or Three Wheeler or Tractor with trolley	0.80
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.20
Bus or truck	2.50
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) three to six axles	4.00
Oversized vehicles (seven or more axles)	4.80

Explanation: For the purposes of this rule-

(a) "car" or "jeep" or "van" or "light motor vehicle" or "three wheeler" or "tractor with trolley" means any mechanical vehicle the gross vehicle weight of which does not exceed seven thousand five hundred kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988 does not exceed twelve, excluding the driver, "light commercial vehicle" or "light goods vehicle" or "mini bus" means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding seven thousand five hundred kilograms but less than twelve thousand kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988, exceeds twelve but does not exceed thirty two, excluding the driver;

(b) "truck" or "bus" means any mechanical vehicle with a gross vehicle weight exceeding twelve thousand kilograms but less than twenty thousand kilograms or the registered passenger carrying capability as specified in the certificate of registration issued under the Motor Vehicles Act, 1988, exceeds thirty two, excluding the driver;

(c) "heavy construction machinery" or "earth moving equipment" or "multi axle vehicle" means heavy construction machinery or earth moving equipment or mechanical vehicle including a multi axle vehicle with three to six axles or vehicle with a gross vehicle weight exceeding twenty thousand kilograms but not exceeding sixty thousand kilograms; and

(d) "oversized vehicle" means any mechanical vehicle having seven or more axles or vehicle with a gross vehicle weight exceeding sixty thousand kilograms.

(3) The rate of fee for use of permanent bridge, bypass or tunnel constructed with the cost exceeding rupees five crore, shall, for the bas year 2010-11, be as follows:-

	Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)				
Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (rupees in Crore)	Car, Jeep, Van, Three Wheeler or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle Light Goods Vehicle or Mini bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversized Vehicle
5.0 to 7.50	5.0	7.5	15.0	22.0	30.0
1	2	3	4	5	6
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees seven point five crore and up to rupees one hundred crore.	1.0	1.50	3.0	4.50	6.0
For every additional rupees five crore or part thereof, exceeding rupees one hundred crore.	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50

Provided that while computing fee for the section of State Highway on which a permanent bridge, bypass or tunnel costing rupees fifty crore or more is situated, the length of such permanent bridge, bypass or tunnel shall be excluded from the length of such section of State Highway and fee shall be levied at the rates specified for such permanent bridge, bypass and tunnel:

Provided further that where the cost of such permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is less than rupees fifty crore, and the said permanent bridge, bypass or tunnel, forms part of the section of State Highway, then instead of above, rate of [illegible] determined under sub-rule (2) shall be applicable for such permanent bridge, bypass or tunnel.

Explanation:- For the purpose of this sub-rule,-

(a) the cost for private investment project, shall be the cost as assessed by the executing authority prior to invitation of bids from the concessionaires; and

(b) the cost of public funded project shall be the cost as assessed by the executing authority three months prior to completion thereof.

(4) The rates for stand-alone bridges, ROBs, RUBs, elevated highways shall be as given in sub-rule (3).

5. (1) The rates specified under rule 4 shall be increased by three per cent each year and such increased rate shall be deemed to be the base rate for the subsequent years. For the avoidance of doubt, the first increase hereunder shall come into effect on April 1, 2011. Annual revision of rate of fee

(2) The applicable base rates shall be revised annually with effect from April 1 each year to reflect the increase in wholesale price index between the week ending on January 2, 2011 and the week ending on or immediately after January 1 of the year in which such revision is undertaken but such revision shall be restricted to forty per cent of the increase in wholesale price index.

(3) The formula for determining the applicable rate of fee shall be as follows:-

$$\text{Applicable rate of fee} = \text{base rate} + \text{base rate} \times \left\{\frac{\text{WPI A} - \text{WPI B}}{\text{WPI B}}\right\} \times 0.40$$

Explanation:- for the purposes of this sub-rule,-

(a) applicable rate of fee shall be the rate payable by the user;

(b) base rate shall be the rate specified in rule 4 read with sub-rule (1);

(c) WPI A means the wholesale price index of the week ending on or immediately after January 1 of the year in which such revision is undertaken; and

(d) WPI B means the wholesale price index of the week ending on 2nd January, 2010.

Illustration: If the revision is to be made for the year 2011-12 by applying the wholesale price index of the week ending on 1st January 2011, then the rate for car, jeep or van will be 0.84 as computed below (assuming for the purposes of this illustration that the WPI as on 2.1.2010 and 1.1.2011 is 100 and 105 respectively.

$$\text{Applicable rate of fee } 0.824 + 0.824 \times \left\{\frac{105 - 100}{100}\right\} \times 0.4 = 0.84$$

(4) Annual revision of rate of fee under this rule shall be effective from first day of April every year.

Collection of fee

6. (1) Fee levied under these rules shall be collected by the State Government or the authorised person u/s 2B of the Indian Toll Act, 1851 or the concessionaire, for a specified period in accordance with the terms of the agreement entered into by the concessionaire as the case may be, at the toll plaza.

(2) Every driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle shall for the use of the section of State Higlway, permanent bridge, bypass or tunnel, before crossing the toll plaza, pay the fee specified under these rules.

(3) The fees levied under these rules shall be paid either in cash or through smart card or on board unit (transponder) or any other like device:

Provided that no additional charges shall be realised for making the payment of fee by use of a smart card or on board unit (transponder) or any other such device.

(4) Any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle who opts for the installation of on board unit (transponder) or any other such device for payment of fee, shall deposit a refundable security equivalent to the cost of the equipment with the State Government, the Executing Authority or the concessionaire, as the case may be, for such installation and no interest shall accrue on such security deposit.

(5) The person receiving such fee, under sub-rule (2), shall issue to the driver, owner or person in charge of mechanical vehicle a receipt, specifying therein the date and time of such receipt of fee, total amount received, and the class of vehicle for which the fee has been received:

Provided that where the fee is paid through smart card or on board unit (transponder) or any other such device, a receipt shall be issued on demand only.

(6) The fees shall be collected by the State Government or the executing authority, as the case may be, and in case of concessionaire; for a specified period in accordance with the terms of the agreement entered into by the concessionaire.

(7) In respect of public funded projects the fee levied under these rules shall be collected by the State Government, or the Executing Authority, as the case may be, through its own officials or through a contractor.

Remittance and appropriation of fee

7. In case of public funded projects, the fee collected under the provisions of these rules by every executing authority shall be remitted to the State Government :

Provided that in case of private investment projects, the fee collected under the provisions of these rules shall be appropriated by the concessionaire in accordance with the provisions of and for the performance of its obligations under the agreement entered into between such concessionaire and the Executing Authority and for the purpose of this proviso, concessionaire shall be deemed to be authorised person within the meaning of Section 2B of the Indian Toll Act, 1851.

Location of toll plaza

8. (1) The authorised person or the concessionaire, as the case may be, shall establish a toll plaza beyond a distance of five kilometers from the limits of a municipal or local town area:

Provided that the executing authority may, for reasons to be recorded in writing, locate or allow the authorised person or concessionaire to locate a toll plaza within a distance of five kilometers of such limits of a municipal or local town area, but in no case within two kilometers of such limits of a municipal or local town area:

Provided further that where a section of the state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipal or town area limits or within five kilometers from such limits primarily for use of the residents of such municipal or town area, the toll plaza may be established within the limits of such municipal or [illegible] within [illegible] [illegible] used [illegible] other toll plaza on the same section of state highway and in the same direction shall not be established within a distance of fifty kilometers:

Provided that where the executing authority deems necessary, it may for reasons to be recorded in writing, establish or allow the concessionaire to establish another toll plaza within a distance of fifty kilometers:

Provided further that a toll plaza may be established within a distance of forty kilometers from another toll plaza if such toll plaza is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel.

9. (1) The authorised person or the concessionaire, as the case may be, shall upon request provide a pass for multiple journeys to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule (2). Discounts

(2) A driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle who makes use of the section of State Highway, permanent bridge, bypass or tunnel may apply for a pass under sub-rule (1) upon payment of fee in accordance with the following rates, namely:-

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey.	Two	Twenty four hour from the time of payment.
Two-thirds of the amount of fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from the date of payment.

(3) A person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and uses it as such for commuting on a section of state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, may obtain a pass, on payment of fee at the base rate of rupees two hundred per calendar month applicable for 2010-11 and revised annually in accordance with rule 5, authorising it to cross the toll plaza specified in such pass:

Provided that such pass shall be issued only if such driver, owner or person in charge of such mechanical vehicle resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza specified by such person and the use of such state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, does not extend beyond the toll plaza next to the specified toll plaza:

Provided further, that no such pass shall be issued if a service road or alternative road is available for use by such driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle.

(4) No pass shall be issued or fee collected from a driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle that uses part of the section of a State Highway and does not cross a toll plaza.

Rate of fee for overloading

10. (1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or a person in charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, a mechanical vehicle which is loaded in excess of the permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall be liable to pay fee at the rate which is applicable for the next higher category of mechanical vehicles:

Provided that the payment of such fee for overloading shall not in any manner entitle a driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle to make use of such state highway and his such vehicle shall be prevented from using the state highway at the said toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

(2) The weight of a mechanical vehicle, as recorded at a weigh-bridge installed at the toll plaza, shall be the basis for levying the fee for overloading under this rule:

Provided that where no weigh-bridge has been installed at the toll plaza, no fee for overloading shall be levied and collected under this rule and the driver, owner or person incharge of the mechanical vehicle shall be liable to pay the fee applicable for such vehicle only.

Exemption from payment of fee

11. No fee shall be levied and collected from the persons eligible for exemption in accordance with the provisions of section 4 of the Indian Toll Act, 1851, as amended in its application to Uttar Pradesh.

Display of information

12. (1) The authorised person or the concessionaire, as the case may be, shall publish a notice specifying the amount of fee to be charged from different categories of mechanical vehicles, in at least one newspaper each, in English and vernacular language having a wide circulation in the local area.

(2) The authorised person or the concessionaire, as the case may be shall prominently display, in Hindi and English one thousand meters of the toll plaza and in English and a local language five hundred meters ahead of the toll plaza,-

(i) the amount of fee payable for each class of vehicles and the discounts available under rule 9;

(ii) the categories of vehicles exempted from payment of fee; and

(iii) the name, address and telephone or contact number of the authorised person or the concessionaire, as the case may be;

(iv) The statement of penalties for refusing to pay toll and for taking any lawful action.

(3) The height of the display boards, their quality and size of lettering shall be clearly visible and legible to the users.

Unauthorized collection

13. (1) An officer authorised by the State Government or the executing authority, as the case may be, may assess the excess fee collected, if any, by the authorised person or the concessionaire, as the case may be, and recover the same from such authorised person or concessionaire, along with an additional sum equal to twenty five per cent of the excess fee collected:

Provided that no recovery of such excess fee shall be made unless an opportunity of hearing has been given to the authorised person or concessionaire, as the case may be.

(2) Any driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle aggrieved by unauthorised collection of fee, may lodge a complaint with the officer authorised by the State Government or the executing authority, as the case may be, in this behalf, who shall after hearing the parties pass an order on such complaint, within 30 (thirty) days thereof, for refund of excess payment and for damages to compensate for the inconveniences suffered by such user.

Failure to pay fee

14. (1) If any driver, owner or person in charge of mechanical vehicles does not pay or refuses to pay the fee for use of state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, his or her vehicle shall not be allowed to use such section of state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, and in case such vehicle obstructs the normal flow of traffic, the authorised person or the concessionaire, as the case may be, may get such obstructing vehicle removed from the state highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if the driver or the person in charge of a mechanical vehicle refuses or fails to pay the fee [illegible] rules, the same shall be recovered from the registered owner of the mechanical vehicle.

(3) Where the State Government, authorised person or the concessionaire, as the case may be, has reason to believe that a mechanical vehicle is plying on a section of the state highway, permanent bridge, bypass or tunnel without payment of fee due, it may stop such vehicle for the purpose of verifying the payment thereof and collect the fee due from such vehicle.

(4) Any person who fails to pay the fee due or evades payment thereof in any manner shall, without prejudice to any action under these rules or otherwise, be liable to pay a fine of not less than one thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and in default to pay the fine, it shall be recovered as arrears of land revenue.

Power of State Government to verify records

15. An officer duly authorised by the State Government or the executing authority, shall have the power to verify the collection of fee, and inspect any document, records, other information, receipts or reports of the authorised person or the concessionaire, as the case may be.

Collection of fee in respect of Private Investment Project

16. The fee levied under the provisions of sub-rule (3) of rule 3 shall be collected by the Concessionaire till its concession agreement is in force.

Bar on installation of additional barrier

17. No barrier shall be installed at any place, other than at the toll plaza, except with the prior permission in writing of the State Government or the executing authority who after being satisfied that there is evasion of fee, may allow on such terms and conditions as it may impose, the installation of such additional barrier by the State Government, the authorised person or the concessionaire, as the case may be, within ten kilometers from the toll plaza, to check the evasion of fee:

Provided that the State Government or the executing authority, as the case may be, may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such permission :

Provided further that where the State Government or the executing authority, as the case may be, do not allow installation of an additional barrier by the authorised person or the concessionaire, the reasons for such refusal shall be communicated to such authorised person or concessionaire within a reasonable period.

By order,

RAVINDRA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1035 राजपत्र (हि०)—2011—(1995)—586 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 1 सा० लोक निर्माण—2011—(1996)—500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

62167-4
10/5/20

9454413179